



नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट

(बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० की इकाई)

विजवनपर, पो०-राणा बिगहा, बिहारशरीफ

ई-मेल-nalandadairy@gmail.com

चेकलिस्ट

अनुलग्नक:-

निशान(V) लगावें

- 1) पासपोर्ट आकार का फोटो
- 2) पहचान पत्र/अधार कार्ड की छाया प्रति (अनिवार्य)
- 3) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 4) बैंक पासबुक (बचत अथवा चालू) जमा विवरण की छाया प्रति (अनिवार्य)
- 5) पैन कार्ड की छाया प्रति (अनिवार्य)
- 6) निर्धारित अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट, निबंधन राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑफ लाईन निविदा प्रपत्र लेने पर मनि रसीद की मुल प्रति (अनिवार्य)
- 7) चरित्र प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- 8) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- 9) चिकित्सा प्रमाण पत्र
- 10) एक लाख रु० का (1,00,000) फिक्स डिपोजिट अथवा संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट की छाया प्रति (अनिवार्य)
- 11) आवेदक का स्व घोषणा प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- 12) तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों अलग-अलग लिफाफा में सीलबन्द कर पुनः दोनों लिफाफा को एक बड़ा लिफाफा में सील बंद कर भेजा जाएगा।
- 13) निविदा फॉर्म कुल पन्द्रह (15) पृष्ठों में है।
- 14) शैक्षणिक योग्यता (साक्षर)
(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
- 15) उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि उम्र न्यूनतम-21 वर्ष.....
(कृपया जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तवेज या दसवीं पास का स्व० अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित है।)
- 16) स्व० घोषणा प्रमाण पत्र.....
(आवेदक द्वारा संलग्नित स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

17) क्या आवेदक स्वस्थ है। हाँ/नहीं(कृपया उपयुक्त में सही (✓) का निशान लगावें)

संबंधित संप/इकाई/कॉम्पेड द्वारा भौग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्नित करना होगा।

18) निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रघन राशि—

(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी रु0 1,000/- (एक हजार रु0) एवं अग्रघन की राशि रु0 10,000/- (दस हजार रु0) का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग-अलग हो जो "बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि0" (BIHAR STATE CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LTD) के पक्ष में तथा बिहारराशीफ में भुगतये हो।

19) व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता _____

20) सुरक्षा राशि (1,00,000) एक लाख रु0 डेयरी में जमा करना होगा जिसपर कोई ब्याज देया नहीं होगा।

(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रु 1,00,000 (एक लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा— फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में प्रदर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।

नोट— सभी प्राप्त निविदाये दिनांक 31.12.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से नालन्दा डेयरी में खोली जाएगी। सभी

निविदा दाताओं से आग्रह है कि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

- सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ सम्झ लें।
- क्रम संख्या 1 से 20 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
- सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।
- आवंटन के उपरांत भी यदि होल डे मिल्क पार्लर का निर्माण किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में आवेदक को निर्गत आवंटन आदेश रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा की गई अग्रघन की राशि वापस कर दी जायेगी।

(1)

चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण:-

- 1.1 प्री-फेब्रीकेटेड सुधा-होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना कॉम्पेड के वेबसाइट www.sudha.coop पर उपलब्ध है।
- 1.2 एक निविदादाता/आवेदक को एक ही होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन किया जायेगा।
- 1.3 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र ऑफलाईन द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा, जिसमें बूथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बूथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र भरने की सम्बन्धित जानकारी, दिशा-निर्देश एवं नियम व शर्तें इस निविदा के साथ वेबसाइट पर भी दी गयी है। आवेदक से अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इसमें निहित सभी नियम व शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ ले।
- 1.4 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-1) के फॉर्म को भर कर उसमें माँगी गयी जानकारीयों का ब्यौरा एवं सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगे। लिफाफा-1 के उपर "तकनीकी निविदा" अवश्य लिखें।
वित्तीय निविदा (खण्ड-2) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बंद स्थिति में समर्पित करेंगे। लिफाफा-2 के उपर "वित्तीय निविदा" अवश्य लिखें।
उपरोक्त वर्णित दोनों लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डालकर उसे सील बंद करेंगे।
आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफे पर "राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" एवं "आवेदित स्थल का नाम" के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नं० अवश्य लिखेंगे।
- 1.5 निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.6 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों की जाँच नालंदा डेयरी के नामित समिति द्वारा की जायेगी।
- 1.7 चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिये गये दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज नालंदा डेयरी के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।
- 1.8 आवेदनों की जाँच के उपरान्त एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।
- 1.9 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध के आगे की प्रक्रिया सुरक्षा राशि जमा करना और आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया नालंदा डेयरी द्वारा किया जायेगा।

- 1.10 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त अथवा तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे सभी आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरान्त यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता को प्रथम सर्वाधिक निविदा-दाता के दर पर चयनित किया जायेगा।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने को मना करने की दिशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

- 1.11 चयनित सफल उम्मीदवार/ निविदादाता को औपबंधिक Letter of Award (LOA) / निर्गत किया जायेगा। औपबंधिक Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संघ में जमा करना होगा।

- 1.12 आवंटी को रू0 1,00,000,00 (एक लाख रुपये) की सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल प्रति) के रूप में संघ के कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

- 1.13 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनाके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू0 10,000,00 (दस हजार रू0 मात्र) जब्त कर ली जायेगी।

- 1.14 संघ द्वारा अनुबंध के तहत अंतिम रूप से चयनित आवेदको को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा, जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री ऑकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

- 1.15 आवंटन आदेश जारी होन एवं समझौते के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मापदेण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती है तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

(2) पात्रता मापदण्ड :-

- 2.1 शैक्षणिक योग्यता :- न्यूनतम साक्षर (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)
- 2-2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.3 उम्र :- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21 वर्ष।

2.4 आधार कार्ड संख्या:-.....(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.5 आवेदक को "स्व० घोषणा प्रमाण पत्र" संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि:-

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं या नहीं।
2. (अ) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) कॉम्फेड की कियी इकाई /कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं या नहीं।
(ब) यदि 2 (अ) का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषण पत्र समर्पित करें।
मैं (आवेदक का नाम).....स्वघोषित करता हूँ
कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरत कर्मी का नाम)(संघ/इकाई का नाम)(पदनाम)के पद पर
(पदस्थापन का स्थान)में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ सम्बन्ध).....
.....है।

(उदाहरणार्थ :- मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर के डेयरी वर्कर के पद पर सीवान में कार्यरत है, मेरे पिता है।)

ऐसे आवेदक, (1) जिन्हें स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल-डे मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य एवं (2) कॉम्फेड या कॉम्फेड के सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजनाके अन्तर्गत होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(स्व०घोषणा पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है।)

- 2-6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि :- आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) सभी वर्गों के लिए रु० 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रु० 10,000.00(दस हजार) निर्धारित है। आवेदक द्वारा पंजीकरण भुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन के साथ अलग-अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पंजीकरण भुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 2.7 आवेदनकर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (BIHAR STATE CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LIMITED) के पक्ष में, जो बिहारशरीफ में भुगतेय हो, संलग्नित करेंगे।

- 2-8 वित्तीय योग्यता :- (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि ₹01,00,000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा-फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में ₹0 1,00,000.00 की राशि जमा रहने के प्रमाण (पास बुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं० दर्ज हो तथा सम्बन्धित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने को प्रमाण अंकित हो) या सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में प्रदर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।
- 2-9 आवेदक को स्वस्थ होना आवश्यक है। नालंदा डेयरी के द्वारा माँग किये जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रदान करना होगा।
- 2-10 असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि ₹0.10,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 2.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त, कार्य प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा राशि ₹0.1,00,000.00 (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अथवा नालंदा डेयरी के बैंक खाते में जमा करना होगा। अंतिम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि ₹0.10,000.00 (दस हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे ₹0.90,000.00 (नब्बे हजार) आवंटि को जमा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 2.12 चयन के उपरान्त सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।
- 2.13 पात्रता मानदण्ड के तहत बिन्दु सं०-2.1 से 2.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदण्ड शर्तों को पूरा करना होगा। मानदण्ड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- 2.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता के वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनका वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।
- 2.15 आवंटि कॉम्पेड या कॉम्पेड के संबंधित संघ/इकाई के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आवंटि कॉम्पेड या कॉम्पेड के संबंधित संघ/इकाई के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 2.16 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मानदण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरीत कार्य विसंगतियों पाइ जाती है तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर जी जायेगी।
- 2.17 आवंटि/संचालक को संघ के साथ ₹0 1000/- के नन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा समपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप नालंदा डेयरी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) ग्री फेब्रीकेटेड सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतू standard Operating Procedure (S.O.P)

3.1 बिक्री हेतू सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 बजे से रात्री 9:00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

3.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालक को नालंदा डेयरी के द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा।

3.3 प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर कॉम्पेड के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन नालंदा डेयरी से सम्बन्धित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पत्तियों का अधिकार नालंदा डेयरी, बिहारशरीफ को होगा।

3.4 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्राण्ड की पहुँच बढ़ाने हेतू प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए नालंदा डेयरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्राण्ड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है।

3.6 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए संघ द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र हेतू नियुक्त वितरक के माध्यम में दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा।

3.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान सम्बन्धित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।

3.8 आवंटी/संचालक को नालंदा डेयरी के द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सामने एम.आर.पी की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

3.9 चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के पास -सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

3.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय-समय पर सर्विसिंग/रख रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

3.10 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।

3.12 विशेष अवसरों हेतु आवंटी/संचालक को अपने सम्बन्धित वितरकों को अधिक माँग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

3.13 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को पूर्व में सूचना प्रदान की जायेगी।

3.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा की जाँच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.15 चयनित आवंटी/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलेवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, जिनको चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

3.16 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकते हैं, जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्स मैन का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

3.17 आवंटी/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा, जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंटी/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।

3.18 सम्बन्धित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के वितरक के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को आवंटी/संचालक द्वारा संघ के सम्बन्धित सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

(4) रख-रखाव एवं अन्य शुल्को का भुगतान:-

4.1 आवंटी/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति रिकार्ड हेतु नालंदा डेयरी को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।

4.2 आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटित मासिक रख-रखाव किराया/दर प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व नालंदा डेयरी के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किराया यदि भूमि के लिए को उसे आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

4.3 आवंटी/संचालक को बिजली बिल, पानी भुल्क तथा अन्य वैधानिक खर्च प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व सम्बन्धित विभागों में जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति नालंदा डेयरी को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिजली व पानी आदि का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के नाम पर लेना होगा।

4.4 आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पत्ति के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण नालंदा डेयरी को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/विक्री की जानी चाहिए।

4.6 न्यूनतम मासिक किराया निर्धारण

H-I मोड पर निविदा निकालने के पूर्व होल-डे मिल्क पार्लर का न्यूनतम मासिक किराया निर्धारित किया जा सकता है। न्यूनतम मासिक किराया निर्धारित किया जा सकता है। न्यूनतम मासिक किराया निर्धारण हुतू बिहार राज्य के सभी शहरों को X,Y,& Z वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

बिहार राज्य के 2011 के जनगणना के मद्देनजर X वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 3.50 लाख से अधिक है, को रखा गया है जिसमें राज्य के 4 शहर पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर शामिल हैं।

Y वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 2.00 लाख से 3.50 लाख के बीच है, को रखा गया है एवं इसमें राज्य के 13 शहर बिहारशरीफ, दरभंगा, बेगुसराय, कटिहार, पंचपरण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, आरा, मुंगेर, सासाराम एवं शामिल हैं।

Z वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 2.00 लाख से कम है, को रखा गया है एवं इसमें राज्य के 21 शहर अररिया, अरबल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, नवादा, शिवहर, सीतामढ़ी, भभुआ, शेखपुरा, सीवान एवं हाजीपुर शामिल हैं।

- आवंटित स्थलों पर मिल्क पार्लर के निर्माण स्थलों के अनुरूप होल-डे मिल्क पार्लरों को A,B&C वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

X वर्ग के शहरों हेतू मासिक किराये का निर्धारण:-

A वर्ग के मिल्क पार्लर इस वर्ग हेतू X वर्ग के निर्धारित जिले के मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग के किनारें, शहर के मुख्य चौक, मंडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के परिसर अथवा गेट के आसपास, शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन या स्टेशन के आसपास, मुख्य बस स्टैंड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आसपास स्थित मिल्क पार्लर को शामिल करते हुए न्यूनतम किराया रू0 3000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

B वर्ग के मिल्क पार्लरइस वर्ग में X वर्ग निर्धारित जिले के जिले के जिला स्तरीय अस्पताल, जिला स्तरीय निबंधन कार्यालय, जिले के मुख्य पर्यटक स्थल, शहर के मुख्य पार्क के परिसर या उसके आसपास एवं जिला समाहरणालय के परिसर व आस-पास, शहर के अन्य मुख्य बड़े सरकारी कार्यालयों के निकट, शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास को छोड़कर शहरी क्षेत्र अन्य रेलवे स्टेशन के आस-पास, शहर के मुख्य बस स्टैंड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आसपास को छोड़कर अन्य बस स्टैंड के निकट स्थित पार्लर को शामिल करते हुए न्यूनतम किराया रू0 2500.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

- C वर्ग के मिल्क पार्लरइस वर्ग में X वर्ग के निर्धारित जिले के अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत व समतुल्य स्तरीय अस्पताल, अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत व समतुल्य स्तरीय निबंधन कार्यालय, जिले के मुख्य पर्यटक स्थल को छोड़कर, शहर के मुख्य पार्क के परिसर या उसके आसपास को छोड़कर अन्य सभी पार्कों के निकट एवं शहर के अन्य सभी छोटे सरकारी कार्यालयों के निकट, जिले के अन्य अनुमंडल, प्रखण्ड या समतुल्य स्तर के सभी रेलवे स्टेशन या स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आसपास स्थित मिल्क पार्लर को शामिल करते हुए न्यूनतम किराया रू0.1000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

Y वर्ग के भाहरों हेतु मासिक किराये का निर्धारण:-

Y वर्ग हेतु निर्धारित जिले के A वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 2000.00 प्रतिमाह, B वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 1500.00 प्रतिमाह, C वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 750.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

Z वर्ग के भाहरों हेतु मासिक किराये का निर्धारण:-

Z वर्ग हेतु निर्धारित जिले के A वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 1500.00 प्रतिमाह, B वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया 1000.00 प्रतिमाह, C वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 750.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

(5) प्री-फेब्रीकेटेड सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापन:-

5.1 आवंटित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारम्भ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा। एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।

5.2 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:-

(क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।

(ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्रहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ङ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (एम0आर0पी0) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(च) यदि नालंदा डेयरी/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

5.3 नालंदा डेयरी आवंटी/संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि नालंदा डेयरी को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा नालंदा डेयरी/कॉम्फेड/सुधा ब्राण्ड या ग्रहकों के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, जिससे नालंदा डेयरी/कॉम्फेड या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

5.4 आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को सरेंडर करने की स्थिती में आवंटी/संचालक द्वारा नालंदा डेयरी को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

5.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवकदकों के चयन की पूर्व के प्रक्रिया के तहत की जायेगी।

5.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को संचालक/आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिती में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रतिदिन ₹0.100.00 दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उत्तरदायी होगा। दण्डात्मक किराये की गणना सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

5.7 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रांडिंग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को दो प्रतियों में हैण्डओवर और टेक ओवर के माध्यम से नालंदा डेयरी या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिस पर नालंदा डेयरी के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

5.8 आवंटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय पुराने आवंटी/संचालक के द्वारा ही सभी बकाया राशि का निपटान एवं होल-डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। नालंदा डेयरी/कॉम्पेड द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में लगाये/दिये गये सभी सम्पत्तियों का निरीक्षण नालंदा डेयरी के अधिकृत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपूर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

(6) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आवंटी/संचालक के द्वारा नालंदा डेयरी को वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नालंदा डेयरी के द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश/सम्पादित किये गये एकरारनामा के आलोक में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपबन्ध/खण्ड "अप्रत्याशित घटना"(Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या नालंदा डेयरी के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/संचालक या नालंदा डेयरी की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड़ताल, दुर्घटना, आगजनी, बाढ़, ओंधी-तुफान, भूकम्प माहमारी अथवा शासन के आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिती जो सम्बन्धित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हों, को शामिल करना है।

(7) किसी भी विवाद की स्थिती में सम्बन्धित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की स्थिती में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-(Arbitration & Conciliation Act-1996) के निहित प्रावधान के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र विहारशरीफ, नालंदा होगा।

खण्ड-1
(तकनीकी निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट
आकार का रंगीन
फोटो चिपकाएँ)

1. जिला का नाम :-
2. आवेदित स्थल का नाम :-
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :-
4. आवेदक का पता -(क) वर्तमान :-

-(ख) स्थायी :-

(कृपया कम सं०.4 के (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से सम्बंधित दस्तावेजों की स्व० प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

5. मोबाइल न०. :-
6. ई-मेल :-
7. आवेदक का आधार काड सं०. :-
(कृपया आधार कार्ड का स्व० अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
8. पैन नम्बर :-
(कृपया पैन कार्ड का स्व० अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्व० अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
10. अग्रधन राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं०.तिथि..... बैंक का नाम
(कृपया डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में संलग्न करें)

स्व0 घोषणा प्रमाण-पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं/अथवा नहीं।

हाँ / नहीं

(कृपया उपर्युक्त में सही का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड), पटना या कॉम्फेड से सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं अथवा नहीं।

हाँ / नहीं

(कृपया उपर्युक्त में सही का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हाँ है तो निम्न ब्यौरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम)घोषित करता हूँ कि
श्री/सुश्री/श्रीमति (कार्यरत कर्मी का नाम)
संघ/इकाई का नामके
(पदनाम) के पद पर (पदस्थापन का स्थान)
में कार्यरत हैं एवं मेरे (आवेदक के साथ सम्बंध) हैं।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक—

स्थान—

खण्ड-2
(वित्तीय निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1. जिला का नाम :-
2. आवेदित स्थल का नाम :-
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :-
4. सुधा होल डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (रु0. प्रति माह)
अंकों में
शब्दों में

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक-

स्थान-

स्व0 प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिये मैं उत्तरदायी होऊँगा/ होऊँगी।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक—

स्थान—